न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र:–61 / 2018 दायर दिनांक: 05.06.2018

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. हेमराज पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी केमला तहसील नैनवॉ जिला बून्दी। –वादी

बनाम

1. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैंनवां।
2. खाना पुत्र सूरजमल जाति माली निवासी केमला तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
3. माधो पुत्र चतरा जाति माली निवासी केमला तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
4. गोपाल पुत्र मन्नालाल जाति माली निवासी सराय के गणेश जी लाखेरी तहसील लाखेरी जिला बून्दी। –प्रतिवादीगण

वाद–पत्र – अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति:–

1. वादी के अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 02.12.2020

संक्षेप में वाद–पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम केमला पटवार मण्डल नीमखेडा तहसील नैनवां में सिवायचक जमीन खसरा संख्या 146 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा बजंड भूमि थी। इसमें में से दिनांक 10.10.1977 को वादी को राजस्व केम्प तलवास पर 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी का कब्जा होने से नियमानुसार आवंटित हुई थी। आवंटन के पूर्व से ही वादी इस भूमि पर निरन्तर खेती काश्त करता चला आ रहा है। इसलिए वादी को यह जमीन आवंटन की गई है। जिस पर वादी ही स्यालू तथा उन्दालू की फसल बोता एवं काटता चला आ रहा है। यह कि आवंटन नियमो के मुताबिक वादी आवंटन से ही भूमि खसरा संख्या 146 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि गेरखातेदार कृषक बन चुका है इसलिए वादी को उक्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावें। वादी को आवंटित तो 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि हुई थी परन्तु संवत 2038 की खसरा गिरदावरी में 4 बीघा 10 बिस्वा गेरखातेदारी अंकित कर दी व इन्तकाल 10 बीघा 10 बिस्वा का स्वीकृत था। यह कि वादी हेमराज के साथ इसी खसरा संख्या 146 में 10 बीघा भूमि गोपाल पुत्र मन्ना माली को आवंटित की थी। वादी को दिनांक 10.10.1977 को किये आवंटन के पश्चात अन्य कोई आवंटन नियमन किये हो तो वह नल एण्ड वोईड है क्योंकि खसरा संख्या 146 में 20 बीघा 10 बिस्वा में वादी व गोपाल माली को किये आवंटन के बाद कोई भूमि शेष नहीं रह गई थी।

वादी को अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 वर्णित आराजी खसरा संख्या 146 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी का नाम बतोर खातेदार कृषक के रूप में दर्ज किया जावें। वादी ने अपने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी, नकल आवंटन आदेश, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2036–38, नकल इन्तकाल नं. 27 आदि पेश किये है।

प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम केमला पटवार मण्डल नीमखेडा तहसील नैनवां में खसरा संख्या 146 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी। जिसमें में से दिनांक 10.10.1977 को वादी को राजस्व केम्प तलवास पर 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन हुई थी जिसका नामान्तरण नं. 27 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा का गैरखातेदारी का स्वीकार हुआ था लेकिन उक्त खसरा संख्या 146 का कुल रकबा ही 20 बीघा 10 बिस्वा ही था जिसके विपरीत कुल 26 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन / नियमन निम्नानुसार हुआ था:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.03.12 11:14:32 IST
Reason: SelfAttested

नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

1. अमरा पुत्र जमना जाति चमार रकबा 1 बीघा नामान्तरण नं. 33
2. खाना पुत्र सूरजमल रकबा 15 बीघा नामान्तरण नं. 13
3. हेमराज पुत्र रामनाथ रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा नामान्तरण नं. 27

जो कि 6 बीघा भूमि का अधिक आवंटन हो गया जिसके फलस्वरूप वादी हेमराज के स्वीकृत शुदा नामान्तरण नं. 27 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा में से 6 बीघा कम करते हुए शेष रहे रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा का ही रिकॉर्ड अमल हो पाया है। जिस पर वादी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुका है। वादी को आवंटित भूमि 10 बीघा 10 बिस्वा में से उक्त कारण से रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा पर ही अमल हुआ, उस पर भी वादी का सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होकर आंशिक ही कब्जा काश्त है। आंशिक भूमि पर कब्जा होने तथा आवंटित नं. में रकबा कम होने के कारण 4 बीघा 10 बिस्वा पर ही खातेदारी दी जा सकती थी जो दी जा चुकी है। अतः वादी का वाद निरस्त होने योग्य है।

हमने वाद–पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब वाद–पत्र एवं बयान गवाहान का अवलोकन किया। वाद–पत्र पर बहस सुनी गई। वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः ग्राम केमला तहसील नैनवां की भूमि खसरा संख्या 146 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी का नाम बतोर खातेदार कृषक के रूप में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार नैनवॉ को आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 02.12.2020 को हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.03.12 11:14:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner